पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना

का/227/राज/सीएमपी(जीडीएमओ)/इज्जतनगर दिनांक 25.06.2024

इच्छुक एवं योग्य चिकित्सको को पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मण्डल में कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) के रुप में एक वर्ष के लिये अनुबन्ध तथा अस्थाई आधार पर इंगेंज किये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों की नीचे उल्लेखित शर्तो के अनुसार उपयुक्तता को जॉचने के लिये एक वॉक इन इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

वॉक इन इन्टरव्यू(Walk-In-Interview) का स्थान	दिनांक एवं समय
वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर के कक्ष में।	18.07.2024 को 15:00 बजे

क्रमांक	पद	रिक्तियॉ	योग्यता
01	कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ)	02	M.B.B.S+01 Year Rotatory Internship

(UR=01, EWS=01)

नोट–

1. एक वर्ष की कान्ट्रैक्ट की समय सीमा इंगेजमेन्ट की तिथि से गणना की जायेगी तथा सेवा एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. इंगेज किये जाने वाले सीएमपी/जीडीएमओ की पदस्थापना रिक्तियों के आधार पर इज्जतनगर मण्डल के क्षेत्राधिकार में कही पर भी पदस्थापित किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
3. सेवा निवृत्त रेलवे चिकित्सकों (67 वर्ष से कम) को वरीयता दी जायेगी।
4. अनुभव को वरीयता दी जायेगी परन्तु ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते है जिसके पास अनुभव नहीं है।
5. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) को प्राइवेट प्रेक्टिस की मनाही होगी।
6. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) रेलवे आवास के लिये यद्यपि पात्र नही होगे परन्तु आवास उपलब्ध होने पर उन्हे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2020/E(GR)II/1/2 दिनांक 04.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशो के तहत लागू किराया शुल्क एवं सामान्य लाइसेन्स शुल्क की दर पर आवास उपलब्ध कराया जा सकता है।
7. रेलवे में अनुबंध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी में चयन के उपरान्त आफर आफ इंगेजमेन्ट द्वारा जारी किया जायेगा।

शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता:–

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता M.B.B.S+01 Year Rotatory Internship पूर्ण होनी चाहिये तथा भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। वॉक इन इन्टरव्यू हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।

आयु:–

1. सेवा निवृत्त रेल चिकित्सक, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी जो कि 67 वर्ष से कम आयु के है तथा शारीरिक रुप से उपयुक्त है, वे भी आवेदन कर सकते है।
2. अधिसूचना जारी करने की तिथि को 53 वर्ष से कम आयु होनी चाहिये।
3. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 67 वर्ष से कम होनी चाहिये।

Scanned with CamScanner

पारिश्रमिक–

1. उपरोक्त अधिसूचित पदों के लिये मासिक पारिश्रामिक प्रतिमाह रु0 75,000/–(मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।
2. सेवा निवृत्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के लिये रेलवे बोर्ड निर्धारित मासिक पारिश्रमिक दिया जायेगा जो कि सेवा निवृत्त चिकित्सक की पेंशन+संविदा पारिश्रमिक को मिलाकर सेवानिवृत्त के समय प्राप्त किये जा रहे अंतिम वेतन से अधिक नही होगा।
3. यदि (सीएमपी/जीडीएमओ) को रेलवे आवास आवंटित किया जाता है तो उन्हे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2020/E(GR)II/1/2 दिनांक 04.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशो के तहत लागू किराया शुल्क एवं सामान्य लाइसेन्स शुल्क की दर से उनके मासिक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।

अन्य नियम व शर्ते–

1. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही (सीएमपी/जीडीएमओ) के पद पर इंगेज किया जायेगा।
2. रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता, स्वतः विस्तार के लिये कोई दावा या अधिकार नही होगा।
3. अनुबंध की वैधता के दौरान सीएमपी उनके बेहतर कैरियर/अन्य किसी आधार पर 14 दिन का पूर्व नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किये जाने के लिये स्वतंत्र होगा। रेल प्रशासन द्वारा भी अनुबंध के दौरान किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना या बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि सीएमपी मानसिक या शारीरिक रुप से अक्षम पाया जाता है तो भी रेल प्रशासन द्वारा उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. नियुक्ति किये गये (सीएमपी/जीडीएमओ) को रेलवे में स्वतः नियमतीकरण या समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नही है।
5. नियुक्ति किये गये सीएमपी IRMM 2000 के पैरा 622(8) में "विशेष" रुप से वर्गीकृत किये गये आपरेशन्स को छोड़कर स्वयं के लिये निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते है। अनुबंध की अवधि के दौरान वह सम्बंधित जोनल रेलवे अस्पताल में सामान्य रुप से उपलब्ध सुपर स्पेशिलिटी सेंटर में स्वयं के उपचार की सुविधा ले सकते है।
6. रेलवे में अनुबंध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी को चयन के उपरान्त ऑफर आफ इंगेजमेन्ट द्वारा जारी किये जायेगे।
7. किसी भी सेवा निवृत्त रेलवे चिकित्सक को जिन्हे सीएमपी के लिये नियुक्त किया जाना है, को सुविधा पास/पीटीओ की सुविधा देय नही होगा। आवेदक आवेदन के समय अपनी पदस्थापना का विकल्प दे सकते है परन्तु वह प्रशासन के लिये बाध्यकारी नही होगा तथा उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने मात्र से ही सीएमपी के रुप में चयनित होने का दावा उम्मीदवार नही कर सकेगा। चयन मेरिट के आधार पर होगा। यदि कोई उम्मीदवार वॉक इन इन्टरव्यू में चयनित नही होता है तो चयनित न होने का कारण नही बताया जायेगा।
9. पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मण्डल बिना कोई कारण बताये इस अधिसूचना को रद्द करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

संलग्न–आवेदन का प्रारुप

07/04

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
इज्जतनगर

Scanned with CamScanner

अनुबंध के आधार पर सीएमपी(जीडीएमओ) के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन पत्र का प्रारुप

सेवा में,
मण्डल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

अभ्यर्थी का अद्यतन स्वहस्ताक्षरित पास पोर्ट साइज फोटो

आपके द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का/227/राज/सीएमपी(जीडीएमओ)/इज्जतनगर दिनांक 25.06.2024 के सन्दर्भ में इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में (सीएमपी/जीडीएमओ) के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन कर रहा/रही हूँ।

उम्मीदवार का नाम(हिन्दी में)	
उम्मीदवार का नाम (In English Block Letters)	
पिता/पति का नाम	
पत्राचार के लिये पता (मोबाइल नं0 सहित)	
जन्म तिथि(हाईस्कूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
लिंग(पुरुष/महिला)	
जाति(सामा0/ओबीसी/अजा/अजजा)	
यदि सेवा निवृत्त चिकित्सक है तो उसका विवरण पीपीओ./सेवा प्रमाण पत्र सहित	
राष्ट्रीयता	
धर्म	
मातृभाषा	
शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेजों की स्वयंप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें)	
भा.चि.परि./राज्य चि.प. का रजि. नं0(प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
अनुभव (दस्तावेजों की स्वयंप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें)	.....वर्ष.....माह.....दिन
संलग्न किये गये दस्तावेजो की सूची	

घोषणा– मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने नियम एवं पात्रता की शर्तो को ध्यान से पढ़ा है एवं मै इनसे संतुष्ट हूँ। आवेदन पत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा यदि मेरे इंगेजमेन्ट के बाद किसी भी स्तर पर इनमें किसी प्रकार की कमी पायी जाती है अथवा झूठे पाये जाते है तो मेरा इंगेजमेन्ट बिना किसी सूचना के तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

स्थानः–
दिनांकः–

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner